



दिनांक 5/2/2025

प्रेषित

अवेक- arvind

पता:- R/O 10, Noor Nagar,,Luniyawas, ,Goner Road, Jaipur,Jaipur,Pin Code : 303608

को-आवेदक:- मिटू कँवर पत्नी दसरथ सिंह राजपूत

पता:- सरकारी स्कूल मालियो का मोहल्ला नांदोली चण्डावतां नागौर राजस्थान 341517

को-आवेदक - श्रवण सिंह पुत्र प्रेम सिंह

पता:- सरकारी स्कूल मालियो का मोहल्ला नांदोली चण्डावतां नागौर राजस्थान 341517

को-आवेदक - नंदू सिंह पुत्र प्रेम सिंह

पता:- सरकारी स्कूल मालियो का मोहल्ला नांदोली चण्डावतां नागौर राजस्थान 341517

को-आवेदक - सज्जन कँवर पत्नी प्रेम सिंह

पता:- सरकारी स्कूल मालियो का मोहल्ला नांदोली चण्डावतां नागौर राजस्थान 341517

गारण्टर- नन्द लाल पुत्र मोहन राम

पता:- मालियो का मोहल्ला नोसर भदलिआ नागौर 341517

मैं मेरी अभिभाषा कंपनी मेंटोर फिनमार्ट प्राइवेट लिमिटेड (मैत्री लोन्स) कार्यालय प्लॉट न. -11/70,मध्यम मार्ग, मेट्रो यार्ड के पीछे, भृगुपथ, प्रिंस होटल के पास, मानसरोवर, जयपुर 302020 के अधिकृत ऋण की अदायगी नियमित मासिक किश्तों में नहीं किये जाने पर आपको निम्न कानूनी नोटिस प्रेषित करता हूँ

- यह कि आपने मेरी अभिभाषा कंपनी मेंटोर फिनमार्ट प्राइवेट लिमिटेड (मैत्री लोन्स) से 300000/- रुपये 300000 का फाइनेंस के तहत प्राप्त किया था। इसके लिए आपने मेरी अभिभाषा कंपनी के पक्ष में एक ऋण एग्रीमेंट न. MH00137 व अन्य आवश्यक दस्तावेज दिनांक 19/04/2013 को साइन किये थे। उक्त एग्रीमेंट के अनुसार आपको ऋण की अदायगी नियमित मासिक किश्तों में 11915/- रुपये 11915 की 35 किश्त में हर माह की 10 तारीख तक नियमानुसार अदा किया जाना तय हुआ था। परन्तु आपके द्वारा मेरी अभिभाषा कंपनी को किश्तों की अदायगी समय पर नहीं की गई है।
- यह की आज दिनांक 29/11/2024 को आपकी 11930/- रुपये की 3 किश्तें जिसका कुल अमाउंट 35790/- रुपये (पैंतीस हजार सात सौ नब्बे) एवं डिफॉल्ट चार्ज तथा अन्य शुल्क बकाया चल रहा है।
- यह कि आपके द्वारा उक्त एग्रीमेंट निष्पादित कर मेरी अभिभाषा कंपनी से यह तय किया गया था कि आप ऋण राशि की अदायगी नियमित रूप से तय समय पर करते रहेंगे। और इसमें अगर कोताही की जाती है या समय पर किश्तों का भुगतान नहीं किया जाता है तो आप मेरी अभिभाषा कंपनी को अपनी गिरवी रखी सम्पत्ति को सौंप देंगे। जिसे मेरी अभिभाषा कंपनी यह गिरवी रखी संपत्ति को नीलाम कर / बेच कर अपना कर्ज वसूल कर सकेंगे।
- यह की आपके द्वारा मेरी अभिभाषा कंपनी से एग्रीमेंट निष्पादित कर आपने समय पर किस्त अदायगी करने के लिए शर्तों को भी निष्पादित किया था परन्तु आपने समय पर किस्तों की अदायगी ना करके एग्रीमेंट की शर्तोंका उलंघन भी किया है। जोकि भारतीय न्याय संहिता की धारा 316 (2) का अपराध है। और आप इसके अन्तर्गत डंड के भागी है।
- आपको ज्ञात रहे कि मेरी अभिभाषा कंपनी को यह अधिकार है कि वह अपने द्वारा दिए गए ऋण की राशि की वसूली आपकी चल व अचल संपत्ति/ वाहन से वसूल कर सकें, एवं उक्त संपत्ति/ वाहन को जब्त करके नीलामी द्वारा अथवा बेचकर अपने ऋण की राशि वसूल कर सकें।

अतः आपको जरिये नोटिस सूचित किया जाता है कि आप इस नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर बकाया राशि का भुगतान मेरी अभिभाषा कंपनी को कर, रसीद प्राप्त कर लें या अपनी संपत्ति/ वाहन कंपनी को सौंप दें। अन्यथा बाद गुजरने मियाद आपके खिलाफ सक्षम न्यायालय में कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। जिसके समस्त हर्जे खर्चे की जिम्मेदारी आपकी होगी, कृपया सूचित रहें।

भवदीय

(सुनील शर्मा)  
एडवोकेट

नोट:- इस नोटिस की एक प्राप्ति मैंने मेरे कार्यालय में सुरक्षित रख ली है ताकि वक्त जरूरत काम आये।

